

**कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जनपद-कासगंज ।**  
**जनपद न्यायालय, कासगंज के परिवार न्यायालय, कासगंज में परामर्शदाता की**  
**नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति**

पत्रांक संख्या— ..... दिनांक ..... .

यह विज्ञप्ति माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक संख्या— 6221 / Admin 'G-I' / 2019, Allahabad दिनांकित 14.05.2019 के अनुपालन आमंत्रित किये जाते हैं —

पद का नाम	पदों की संख्या	आयु निर्धारण	अनिवार्य योग्यता	मासिक पारिश्रमिक / वेतनमान की धनराशि
परामर्शदाता (परिवार न्यायालय)	01, संविदा पर	35 वर्ष से कम तथा मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से 65 वर्ष से अधिक वर्ष की उम्र में अनुभव —जो व्यक्ति सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री धारक हो व पारिवारिक परामर्शदाता का दो वर्ष का अनुभव हो तथा कासगंज जिले के मूल निवासी हों, उन्हें वरीयता दी जायेगी ।	समाज शास्त्र या मनो विज्ञान में स्नातक की डिग्री तथा समाज सेवा में अनुभव —जो व्यक्ति सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री धारक हो व पारिवारिक परामर्शदाता का दो वर्ष का अनुभव हो तथा कासगंज जिले के मूल निवासी हों, उन्हें वरीयता दी जायेगी ।	उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा ।

#### आवश्यक निर्देश —

1. अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए ।
2. अभ्यर्थी का एक से अधिक जीवित पति/पत्नी नहीं होना चाहिए ।
3. अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से नियुक्ति प्राधिकारी/आयोग/न्यायालय द्वारा डिबार न किया गया हो ।
4. अभ्यर्थी को न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक मामले में दण्डित न किया गया हो ।
5. अभ्यर्थी को विश्व विद्यालय से समाज शास्त्र या मनो विज्ञान में स्नातक की डिग्री तथा समाज सेवा में अनुभव ।
6. अभ्यर्थीयों को परीक्षा स्थल पर आने जाने हेतु कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा ।
7. आवेदनपत्र समस्त बॉर्डिंग शैक्षिक, पहचान व निवास आदि सम्बन्धी प्रपत्रों के स्व—हस्ताक्षरित छायाप्रतियाँ और दो स्व—हस्ताक्षरित फोटो के साथ दिनांक 14 जून 2019 सांयकाल 05.00 बजे तक प्रशासनिक अधिकारी/मुंसरिम, जनपद न्यायालय, कासगंज में प्राप्त कराये जा सकते हैं अथवा पंजीकृत डांक से प्रेषित किया जा सकता है । उक्त तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनपत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा ।
8. आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा इसकी स्कूलनी की जायेगी और यथासम्भव एक पद के सापेक्ष पैंच लोगों की सूची तैयार की जायेगी ।
9. राज्य सरकार से अर्ह परामर्शदाताओं की सूची प्राप्त होने पर माननीय उच्च न्यायालय, परिवार न्यायालय एवं बाल विकास से सम्बन्धित योग्य विशेषज्ञ से विचार करने के उपरान्त उनके नाम की संस्तुति राज्य सरकार करेगी ।
10. परामर्शदाता पद हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रेषित नामों के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय प्रत्येक नामों पर विचार करेगी । राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर अधिसूचना जारी करेगी ।
11. परामर्शदाता का कार्यकाल प्रारम्भ में तीन वर्ष का होगा । माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर 03 वर्ष के लिए उनके नाम पर पुर्णविचार किया जा सकता है ।
12. परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं मानी जाएगी और वे न्यायालय से संविदा के आधार पर सम्बद्ध रहेंगे ।
13. अभ्यर्थी आवेदपत्र के साथ एक स्व पता युक्त लिफाफा पंजीकृत डांक हेतु निर्धारित डांक टिकट लगाकर प्रेषित करें ।
14. अपूर्ण एवं अहस्ताक्षरित आवेदनपत्र निरस्त कर दिया जायेगा ।
15. नियत पारिश्रमिक पर मंहगाई भत्ता या अन्य कोई भत्ते ज्ञाति नेग नहीं होंगे ।

-2-

https://districts.ecourts.gov.in/Kasganj से डाउनलोड किया जा सकता है व अन्य सूचना प्राप्त की जा सकती है।

*Ahu* 20/05/19  
(अरुण चन्द्र श्रीवास्तव).

अध्यक्ष,  
परिवार न्यायालय समिति / जनपद न्यायाधीश,  
कासगंज।

दिनांक 20-05-19

पत्रांक 1508/I/Civil/2013/Kasganj दिनांक 20-05-2019

प्रतिलिपि -

1. जिलाधिकारी, कासगंज को इस आशय के साथ प्रेषित कि कलैक्ट्रेट और तहसीलों के नोटिस बोर्ड पर उक्त विज्ञप्ति और प्रार्थनापत्र के प्रारूप को चर्चा करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करें।
2. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, कासगंज को इस आशय से प्रेषित कि न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर उक्त विज्ञप्ति और प्रार्थनापत्र के प्रारूप को चर्चा कराना सुनिश्चित करें।
3. मुसरिम, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कासगंज को इस आशय से प्रेषित कि न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर उक्त विज्ञप्ति और प्रार्थनापत्र के प्रारूप को चर्चा कराना सुनिश्चित करें।
4. नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय, कासगंज को इस आशय से प्रेषित किय माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद और जनपद न्यायालय, कासगंज के बेवसाईड पर उक्त विज्ञप्ति और प्रार्थनापत्र के प्रारूप को अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
5. जिला सूचना अधिकारी, कासगंज को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति और प्रार्थनापत्र के प्रारूप को दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी व अंग्रेजी) में निःशुल्क प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।

*Ahu* 20/05/19  
(अरुण चन्द्र श्रीवास्तव).

अध्यक्ष,  
परिवार न्यायालय समिति / जनपद न्यायाधीश,  
कासगंज।

दिनांक

